न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 62/2019 दायरा दिनांक : 06.05.2019

उनवान

1 रोशन आयु 50 वर्ष पुत्र कान्हा, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

2 पूरीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र कान्हा, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

3 बद्रीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र रामचन्द्र, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

4 सोना बाई आयु 50 वर्ष पत्नी भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

5 रामसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

6 पप्पू आयु 33 वर्ष पुत्र भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

7 ममताबाई आयु 28 वर्ष पुत्री भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

8 ओम आयु 26 वर्ष पुत्र भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर

9 अनिताबाई आयु .. वर्ष पुत्री भंवरलाल, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

.... अपीलांट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

1 धन्नालाल आयु 80 वर्ष पुत्र लक्ष्मण, जाति भील
2 पाना चन्द आयु 40 वर्ष पुत्र धन्नालाल, जाति भील
3 लेखराज आयु 35 वर्ष पुत्र धन्नालाल, जाति भील
4 मुकुट आयु 30 वर्ष पुत्र धन्नालाल, जाति भील
5 रामप्रसाद आयु 32 वर्ष पुत्र धन्नालाल, जाति भील

निवासीगण खेडलाजागीर, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित।

श्री अनोज कुमार शर्मा एवं श्री परवर्धन सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.04.2019 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिससे वाद संख्या 29/2017 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांक : **22.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–
2 प्रार्थीगण ग्राम खेडलाजागीर में कृषि कार्य कर अपना एवं परिवारजन का भरण पोषण करते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3 ग्राम खेडलाजागीर की जमाबंदी पटवार हल्का खेडलाजागीर संवत 2072–2075 तहसील छीपाबडौद के नया पुराना खाता संख्या 67/55 भूमि धारक राजस्थान सरकार काश्तकार धन्ना पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/3, रोशन, पूरीलाल पुत्र कान्हा, गोपीबाई पत्नि स्व0 कान्हा हिस्सा 1/3 हि0 बरा, बद्रीलाल, भंवरलाल पिस0 रामचन्द्र हि0 1/3 कोम भील साकिन देह रहन, एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा छीपाबडौद हि0 धन्ना, रोशनलाल, गोपीबाई नामा0 नं0 397, 408 खसरा नम्बर 78 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 19 बिस्वा खेडा प्रथम, खसरा नम्बर 199 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा नामा0 नं. 520 नि0 दि0 21.12.2015 रहननामा से रहन सी0बी0आई0 छीपाबडौद हि0 पूरीलाल का दर्ज स्थित है।

4 प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पिता भंवरलाल ने 35 वर्ष पूर्व 26000/– रूपये अक्षरे छब्बीस हजार रूपये में वादी संख्या को अपना हिस्से का बेचान कर दिया था। खातेदार भंवरलाल का स्वर्गवास होने से उसके उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 5 ता 10 को पक्षकार बनाया है।

5 प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 4 एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 10 के पिता भंवरलाल ने उक्त खसरा नम्बर 207 में से अपने हिस्से का विक्रय पंजीयन कराने के बारे में कहा था लेकिन रामचन्द्र जो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अप्रार्थीगण 4 ता 10 के पिता है लेकिन भंवरलाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण पंजीयन नहीं करा सका, जिसके बारे में अप्रार्थी संख्या 5 ता 10 से भी हां कि आप उक्त भूमि का पंजीयन शीघ्र करा दे, लेकिन दिनांक 17.03.2017 को खसरा नम्बर 207 में से अपने हिस्से का पंजीयन कराने से मना कर दिया और धमकी दी कि उक्त भूमि को बेचान कर देगे, बैंक में गिरवी रख देगे, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

6 खसरा नम्बर 207 में अप्रार्थीगण 4–10 के हिस्से पर कब्जा स्वत्व निरन्तर बना हुआ है जिस पर प्रार्थीगण ने कुआ भी खुदवाया है लेकिन अतिवृष्टि होने के कारण एक कुआ क्षतिग्रस्त हो गया है, एक कुआ पक्का बना हुआ है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर लहसन, गेहूं की फसल बो रखी है जिसे अप्रार्थीगण ने काटने की धमकी दी है।

7 प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 11, 12, 13 के यहां भूमि रहन होने से उन्हें पक्षकार बनाया है जिन्हें प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व 15 दिन का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दिया है। अप्रार्थीगण संख्या 14 भूमि धारक होने के कारण एवं अप्रार्थी क्रमांक 15 उप पंजीयन होने से इन्हें धारा 80 सी पी सी का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दिया है।

8 अप्रार्थी संख्या 10 नाबालिग होने के कारण माता वली प्रतिवादी संख्या 5 सोनाबाई सरपरस्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 10 के हित के लिए सरपरस्त हैं, उन्हें पक्षकार बनाया गया है। नाबा. अनुमति प्रार्थना पत्र सलंग्न है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9 अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.03.2017 को भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकियां देने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ।

10 प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

11 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वाद के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 स्वयं उनके रिश्तेदार नौकर खसरा नम्बर 207 की भूमि पर वाद के दौरान कब्जा नहीं करें, ऐसा न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, न अपने किन्हीं प्रतिनिधियों से करावें एवं अप्रार्थी संख्या 14 उक्त भूमि का इन्तकाल नहीं खोले एवं अप्रार्थी संख्या 15 विवादित भूमि का पंजीयन नहीं करें, व वाद के दौरान 11, 12, 13 को भूमि रहन नहीं रखे।

12 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

13 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 207 रकबा 14.15 बीघा में उडद, मूंग, मक्का की फसल बो रखी थी जिसे अप्रार्थीगण तलवार, गंडासियों के बल पर काट कर ले गये। वाद धारा 88, 89, 90ए, 188 आर.टी.ए. का विचाराधीन है। इस वर्ष भी प्रार्थीगण ने सोयाबीन की फसल और 2 बीघा में मूंग बोये थे जिसे अप्रार्थीगण ने नष्ट कर दिए। सोयाबीन की फसल को खुद की महिलाओं से कटवाकर ले गये। प्रार्थीगण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पुलिस थाना में भी गये लेकिन कोई सहायता नही की है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बेचान करने की धमकियां दे रहे हैं। जबकि खसरा नम्बर 207 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है जिसे अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को अपना हिस्सा 35 वर्ष पहले बेचान कर दिया था और प्रार्थी क्रम 1 को कब्जा संभला दिया, तभी से निरन्तर कब्जा बना हुआ है एवं प्रार्थीगण ने वर्तमान में लहसन, गेहूं, सरसों की फसल बो रखी है। वाद के निस्तारण तक खसरा नम्बर 207 की कृषि भूमि को रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया है।

14 प्रा0 पत्र के जवाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2017 को श्रीमान् के न्यायालय में आर्डर 40 नियम 1 व धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र वास्ते रिसीवर पेश किया था, जिसे सारहीन मानकर दिनांक 11.07.2018 को खारिज फरमा दिया था। इसलिए एक ही अनुतोष हेतु पुनः रिसीवर प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य न होने से खारिज योग्य है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 14.15 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी है जिसमें प्रार्थी धन्नालाल का हिस्सा 1/3 है जिसे मुनाफा काश्त पर बिशना पुत्र गोमदा, जाति ऐरवाल, निवासी खेडला को जुपा रखी है जिसका एक वर्ष के लिए प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

15 बहस प्रा0 पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस प्रा0 पत्र के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। ग्राम खेडलाजागीर की आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 14.15 बीघा स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अप्रार्थीगण के पिता कान्हा व रामचन्द्र से खरीदी थी। उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने की कही तो रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की बोई हुई फसल काट कर ले गये। जमीन को बेचान करने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 107, 151, 116(3) का इस्तगासा पेश किया था। जमीन की सुरक्षा का प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया। जमीन मुनाफे पर दे रखी है किशना पुत्र गोमदा ऐरवाल को ।

16 प्रार्थी द्वारा पहले आर्डर 40 नियम 1 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत ने लिखा है कि जमीन पर कब्जा प्रार्थी का है। विवादित भूमि का पंचानामा लिखाया है। लडाई झगडा करते हैं । प्रार्थी का सिर फोड दिया तथा 4 बार लडाई झगडा किया है। जमीन की रिसीवरी इसलिए आवश्यक है कि वादी प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का झगडा न हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को रिसीवर किया जावे।

17 बहस प्रा0 पत्र के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। खसरा नम्बर 78, 94, 200, 199, 201, 205, 206, 207 की भूमि लक्ष्मण के नाम थी। उक्त आराजी पुश्तैनी जायदाद थी जिस पर सबका हिस्सा है। धन्नालाल का 1/3 हिस्सा है। वर्ष 2017 से 35 वर्ष पूर्व खरीद करना बताया है वाद कारण कब उत्पन्न हुआ वर्ष 2017 में। भंवरलाल व कान्हा की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है। 35 वर्ष तक खातेदारी की कार्यवाही क्यों नहीं की। बद्रीलाल बनाम धन्नालाल का दावा पहले से चल रहा है। रामचन्द्र का पुत्र बद्रीलाल है। रिसीवर हेतु प्रार्थना पत्र केवल

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक बार ही पेश होता है। प्रा0 पत्र आर्डर 40 नियम 1 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पहले खारिज हो चुका है। अब धारा 212(2) आर टी ए में पेश कर दिया है। कई इस्तगासे पेश किये हैं। पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे।

18 बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खेडलाजागीर सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 67 के अनुसार विवादित आराजी शामलाती खातेदारी में दर्ज है। फोटो प्रति कार्या0 ग्राम पंचायत खेडलाजागीर के सरपंच व पंचों द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 207 पर शामलात खाता है जिसमें धन्नालाल पुत्र लक्ष्मण, जाति भील, निवासी खेडलाजागीर का 2 वर्षों से कब्जा होना बताया है।

19 फोटो प्रति इस्तगासा धारा 107, 151, 116(3) सी आर पी सी अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। इससे यह साबित होता है कि विवादित्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की है। उक्त विवादित आराजी पर आपस में कब्जा काश्त को लेकर लडाई झगड़ा होता रहता है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत नकल इस्तगासा धारा 107, 151, 116(3) सी आर पी सी से होती है।

20 प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 207 की भूमि को रिसीवर करवाने का निवेदन किया है, जिससे पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की लडाई झगडा न हो एवं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर टी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ए स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद के खसरा नम्बर 207 रकबा 14.15 बीघा पर तहसीलदार छीपाबडौद को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को कब्जे राज लेकर काश्त व्यवस्था सुनिश्चित करावें। तहसीलदार छीपाबडौद को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी कम 11, 12, 13 दिनांक 27.05.2019 को पेश हो।

21 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

22 मृतक लक्ष्मण के ग्राम खेडलाजागीर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां में खसरा नम्बर 78 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा किता 8 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा स्थित थी जो लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र रामचन्द्र, काना व धन्नालाल के हिस्सा 1/3 प्रत्येक दर्ज हो गई थी।

23 रामचन्द्र की मौत करीब 35 वर्ष पूर्व व काना की मृत्यु 32 वर्ष पूर्व होने पर उनके हिस्से रामचन्द्र का हिस्सा 1/3 बद्रीलाल व भंवरलाल के खाते दर्ज हो गई थी तथा काना की मृत्यु के बाद काना का हिस्सा 1/3 पुत्र रोशन व पूरीलाल तथा पत्नी गोपीबाई के खाते दर्ज हो गई थी।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

24 17 वर्ष पूर्व रामचन्द्र के पुत्र भंवरलाल की मृत्यु होने पर उसके हिस्सा 1/3 के हिस्सा 2/3 भंवरलाल के वारिसान रामसिंह, पप्पू, ओम पुत्र ममता अनिता पुत्रियां व सोना बाई पत्नी के खाते दर्ज चली आ रही है।

25 खातेदार लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है तथा वर्तमान में भी अपीलांट ही काश्त करते आ रहे हैं।

26 रेस्पोडेंट 1 ता 5 अपीलांट को काश्त नहीं करने दे रहे थे जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 07.03.2017 को धारा 53 व 188 का वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर0टी0एक्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 07.03.2017 को अपीलांट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई गई है, जो दिनांक 13.05.2019 तक यथावत है।

27 अपीलांट के वाद पत्र का मालूम होने पर रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 22.03.2017 को धारा 88, 89, 90(ए), 188 आर0टी0 एक्ट का प्रकरण पेश किया जो जैरकार है, जिसमें दिनांक 27.05.2019 पेशी नियत है।

28 रेस्पोडेंट द्वारा 35 वर्ष पूर्व मृतक भंवरलाल द्वारा 26000/- रूपये में उक्त आराजी बेचान करना वादपत्र में अंकित है लेकिन भंवरलाल की मृत्यु महज 5 वर्ष पूर्व हुई है तथा भंवरलाल के भाई बद्रीलाल जीवित है लेकिन वाद प्रस्तुति तक खाते दर्ज करवाना या मना करने का तथ्य कहीं नहीं आया है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

29 अपीलांट व मृतक भंवरलाल के वारिसान द्वारा दिनांक 07.03.2017 को रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को काश्त करने से मना करने पर न्यायालय एस.डी.एम. छीपाबडौद में धारा 53, 188 व 212 का वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

30 रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 27.09.2017 को वास्ते करने रिसीवर धारा 212 व आर्डर 40 नियम 1 व धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2018 को खारिज फरमाया दिया था।

31 प्रथम रिसीवर प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 19.11.2018 को प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय अधीनस्थ द्वारा तथ्यों व राजस्व कानून को ताक में रखकर मनमर्जी से दिनांक 03.04.2019 को स्वीकार फरमाकर खसरा नम्बर 207 रकबा 14.15 बीघा भूमि पर तहसीलदार छीपाबडौद को रिसीवर नियुक्त कर दिया है, जबकि संबंधित न्यायालय द्वारा एक बार निर्णय पारित करने के बाद पुनः आदेश पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

32 खातेदार रोशन पूरीलाल व गोपीबाई के हिस्सा 1/3 के विरूद्ध रिसीवर प्रार्थना पत्र 212(2) आर0टी0एक्ट में कोई रिलीफ नहीं मांगी है और ना ही कोई विवाधक ग्राउण्ड है, लेकिन उसके बाद भी सम्पूर्ण खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा पर कमिश्नर नियुक्त कर उनकी आजीविका व अधिकारों पर कुठाराघात किया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

33 वाद कारण दिनांक 03.04.2019 को उत्पन्न हुआ जब न्यायालय अधीनस्थ द्वारा खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा ग्राम खेडलाजागीर की भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है।

34 अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर न्यायालय एस.डी.एम. छीपाबडौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2019 को अपास्त फरमाकर ग्राम खेडलाजागीर, तहसील छीपाबडौद जिला बारा की खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि को रिसीवर मुक्त फरमाकर दिनांक 03.04.2019 के पूर्व की स्थिति बहाल फरमाई जावे।

35 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अपीलांट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक रेस्पोडेंट सुनी गई ।

36 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया।

37 अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट धन्नालाल द्वारा दिनांक 19.07.2018 को एक प्रार्थना पत्र आर्डर 40 नियम 1 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश कर खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 40 नियम 1 एवं धारा 151 सी. पी. सी. इस आधार

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर खारिज कर दिया कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है ।

38 अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट धन्नालाल द्वारा दिनांक 03.04.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा दिनांक 03.04.2019 को प्रार्थना पत्र 212(2) स्वीकार कर खसरा नम्बर 207 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये।

39 उक्त दोनों निर्णयों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण आपस में लडाई–झगड़ा करने पर आमादा हैं। इस बाबत पुलिस थाना अधिकारी, छीपाबडौद के यहां धारा 107, 151, 116(3), सी. आर. पी. सी. में भी इस्तगासा पेश किया गया है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है एवं अविभाजित आराजी है, संयुक्त खातेदारी की आराजी पर बंटवारे का दावा लाया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के निर्णय दिनांक 03.04.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

40 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 यथावत रखा जाता है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

41 निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा